जिन्होंने मशीनों और सांचों में पूंजी का निवेश किया है, उनके हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बिना किसी विलम्ब के मोम की आपूर्ति करने के लिये उचित कदम उठाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) मोमबत्ती सहित जिन सभी एककों को कच्चे माल के रूप में पैराफीन मोम की आवश्यकता होती है उनकी स्थापना की, पैराफीन मोम की कमी के कारण बढ़ावा नहीं दिया जाता है ।

(ख) उदारीकृत नीति को देखते हुए 1991 के दौरान सभी मदों के पंजीकरण पर लगी पाबंदी को आमतौर से समाप्त कर दिया गया था । किन्तु पाबंदी हटाते समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस प्रकार के एककों की स्थापना करने से पूर्व उद्यमी दुर्लभ कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखेंगे।

(ग) पैराफीन मोम की स्वदेशी उपलब्धता अब भी मांग से बहुत कम है । इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए पैराफीन मोम के आयात की अनुमति दे दी गई है और आयात शुल्क कम कर दिया गया है ।

Memorandum by PSUs on their role

4972. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the public sector undertakings have jointly submitted any memorandum to Government recently, as reported in the Financial Express dated the 9th April, 1994 captioned "PSUs seek clarification of their role" regarding the role which they are expected to play;

(b) what are the areas in which Government would like to retain its interest and whether the PSUs would be provided equal opportunities to be competitive; with autonomy and freedom to act; and

(c) if so, what action Government have taken so far on their demands, particularly regarding redesigning MOU system, professionalism of management and Financial restructuring measures etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) to ((:> The Public Sector Undertakings have not submitted any memorandum seeking clarification on the role of public enterprises. However, SCOPE has submitted to the Government a list of issues pertaining to the public sector for consideration during the proposed conference of chief executives of PSUs. The issues listed out cover a wide range of items like privatisation and dis-investment, memorandum of understanding, composition of board of directors, delegation of powers, revival of sick PSUs, setting up of a training institute, redeployment of surplus manpower, raising the retirement age, tenure of directors, pay scales and wage policy coordination and continuation of purchase preference. The New Industrial Policy has enunciated that the focus of the public sector should be on areas which are strategic and hi-tech or essential infrastructure with a view to making such enterprises more growth oriented and technically dynamic.

पूर्वी राज्यों में पूंजी-निवेश

4973. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

श्री दिग्विजय सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूंजी निवेश और विकास के मामलों में पूर्वी राज्यों की जान-बूझकर उपेक्षा की जा रही है,

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्यों को पूंजी निवेश तथा विकास के मामले में प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी राज्यों में कच्चे-माल और खनिजों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद इनकी उपेक्षा की जा रही है,

(ग) क्या पूर्वी राज्यों की किसी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एक कानून बनाकर केवल उन्हीं राज्यों में उद्योग स्थापित करने की

अनुमति देने का अनुरोध किया है जहां कच्चा-माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगों पर यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो सरकार उन पर कब तक और क्या निर्णय लेने का विचार रखती है तथा किसी भी राज्य में निवेश, विकास करने तथा उद्योग लगाने के संबंध में मानदण्ड क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) संतुलित क्षेत्रीय विकास करना हमारी योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों में से एक है । पूर्वी राज्यों सहित राज्यों के विकास के लिए कार्रवाई करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है ।

(ग) और (घ) सरकार को पूर्वी राज्यों से केवल उन राज्यों, जहां कच्चे माल का बाहुल्य है, में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति देने के लिए कानून बनाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा रक्षा-उपकरणों के निर्यात में कमी

4974. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भेल" द्वारा दिए जाने वाले रक्षा-उपकरणों के निर्यात में धीरे-धीरे कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो "भेल" द्वारा वर्ष 1990 में किए गए निर्यात की तुलना में वर्ष 1991 के अंत तक रक्षा-उपकरणों के निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी हुई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनको किए जाने वाले हमारे निर्यात में कमी आई है; और

(ङ) सरकार ने "भेल" द्वारा रक्षा-उपकरणों के निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संपर्क बनाने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भेल ने किसी प्रकार के रक्षा-उपकरणों का निर्यात नहीं किया है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पास पड़े प्रस्ताव

4975. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन कब हुआ था तथा इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए गये प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों में होने वाले कुल निवेश का ब्यौरा क्या है, और

(घ) बोर्ड के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन 22 अगस्त, 1991 को किया गया था । बोर्ड के सदस्य हैं :—

1. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव अध्यक्ष
2. वित्त सचिव
3. वाणिज्य सचिव
4. सचिव, औद्योगिक विकास

(ख) इसके शुरू होने के बाद से बोर्ड ने 847 प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं । वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत किए गए प्रस्ताओं की सं०
1991	02
1992	199
1993	493
1994 मार्च तक	153